



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-261208/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/

5155

दिनांक:- 23-12-22

:-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शारान विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 11/2022 वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 को उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिरा में उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 10/2022 वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 उपायुक्त (जोन-6) के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 825, 826, 827, 828 रकबा 11.14.00 बीघा (सर्वेयर अनुसार 11.17.00 बीघा) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	13975.15 वर्गमीटर	73.75
2.	सडक/सुविधा क्षेत्र	4973.39 वर्गमीटर	26.25
	कुल	18948.54 वर्गमीटर	100

समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि का आवासीय भूखण्ड का अनुपात: 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण राज्य सरकार स्वीकृति उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किये जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम बासनी तत्वोलिया के खसरा संख्या 102, 103 व 109 समस्त बट्टा नम्बर रकबा 24.11-2.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

[Handwritten signatures]

05. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावें।
06. उक्त ले-आउट प्लान में आवारसीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तालिका अनुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	27374.65 वर्गमीटर	67.73
2.	सुविधा क्षेत्र	905.13 वर्गमीटर	2.24
3.	सड़क	12134.40 वर्गमीटर	30.03
कुल		40414.18 वर्गमीटर	100

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजरव ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 112, 113, 114, एवम् इनके समस्त बट्टा नम्बर रकबा 29.06.00 बीघा भूमि पर आवारसीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को पूर्व जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022 को निर्णयार्थ रखा गया उक्त आवेदित भूमि खसरा संख्या 115 का सही सीमाज्ञान नहीं होने के कारण खसरा संख्या 115 को विलोपित करते हुए केवल खसरा संख्या 112, 113, 114 का संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावें।

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	33243.86 वर्गमीटर	69.69
2.	सड़क/सुविधा क्षेत्र	14310.03 वर्गमीटर	30.31
कुल		47553.89 वर्गमीटर	100

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजरव ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 278 रकबा 46.03.00 बीघा भूमि पर आवारसीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। उक्त ले-आउट प्लान पूर्व में जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022 को अनुमोदित किया गया लेकिन सहवन से सरकारी भूमि सुपरईम्पोज सही करने के कारण क्षेत्र विश्लेषण में परिवर्तन हुआ है जो अनुमोदनार्थ पेश है।

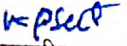
निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

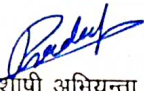
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

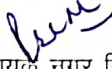
Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

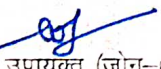
05. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जाएं।
06. उक्त ले-आउट प्लान में संशोधित आवासीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तालिका अनुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	24840.12 वर्गमीटर	52.62
2.	सरकारी आरक्षित भूमि	11283.76 वर्गमीटर	23.90
3.	सडक/सुविधा क्षेत्र	11080.16 वर्गमीटर	23.48
	कुल	47204.04 वर्गमीटर	100


तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक/अधिशायी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक नगर नियोजक
जोन-6
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5156-5161 दिनांक:- 23.12.2022

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

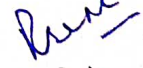
1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर


सहायक नगर नियोजक जोन-6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
परिशिष्ट-"1"

जोन स्तरीय समिति की 11/2022 वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 को उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्री श्रवण कुमार विश्वा, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री संदीप माथुर, अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री प्रतिज्ञा सोनी, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. श्रीमती प्रेम कंवर इन्दा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।

विशेष आगन्तित
संयोजक
सदस्य
सदस्य सचिव
सदस्य


सहायक नगर नियोजक जोन-6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर